

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुझुनूं

पीठासीन अधिकारी:-

मुन्नीराम बागड़िया
(आर0ए0एस0)

अपील संख्या- 27/2017

राजेन्द्र पुत्र फुलाराम जाति मीणा निवासी मीणा की ढाणी तन गोविन्दपुरा तहसील खेतड़ी जिला
झुझुनूं

-अपीलान्त

-बनाम-

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुझुनूं।

-रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील धारा 75 राज.भू. राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ निर्णय दिनांक 23.08.
2016 बअदालत तहसीलदार खेतड़ी मुकदमा उनवानी सरकार बनाम राजेन्द्र मु0न0
45/2016 अ0 धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थिति:-

1. श्री राजेश पुनियां, एडवोकेट----- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ----- राज0सरकार की ओर से।

-निर्णय - दिनांक:- 15.09.2017

उक्त अपील विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 23.8.2016 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजेन्द्र मु.न. 45/2016 अ.धा. 91 राज. भू. राज. अधि. 1956 न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि जमीन हाल ख0न0 2779 रकबा 2.46 है0 किस्म गै0मु0 रड़ा सरहद राजस्व ग्राम गोविन्ददासपुरा पटवार हल्का त्योंदां तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन पर अपीलान्त द्वारा तथाकथित रूप से 0.01 है0 पर टीन सैड व पशु बाड़ा बनाने पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानकर अपीलान्त को अतिक्रमण शुदा जमीन से बेदखल किये जाने एवं 50 रुपये तावान कायम किये जाने का दिनांक 23.08.2016 को निर्णय पारित किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय जैर बहस दिनांक 23.08.2016 खिलाफ कानून न्याय एवं



पत्रावली होने से खारिज योग्य है। प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त का जमीन हाल ख0न0 2779/1909 किस्म गै0मु0 रड़ा वाके ग्राम गोविन्दपुरा के किसी भाग पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को अतिक्रमी मानने में कानूनी गलती की है। जहां अपीलान्त ने टीन सैड व पशु बाड़ा बना रखा है वह टीन सैड व पशु बाड़ा अपीलान्त के पूर्वजों के समय से है तथा पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जमीन गै0मु0 रड़ा न होकर आबादी भूमि है। अपीलान्त अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं जहां पहले से अपीलान्त ने टीन सैड व पशु बाड़ा बना रखा है उसके अलावा अपीलान्त के रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नहीं है। अपीलान्त के चारों ओर गांव के अन्य लोग भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे हैं। जहां विद्युत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये हैं। इस प्रकार अपीलान्त गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्त के चारों ओर ग्राम मीणा की ढाणी तन त्योंदां के व्यक्ति पीढी दर पीढी रिहायश करते हैं तथा उक्त गांव में एक समाज कल्याण का भवन है एक सरकारी पानी की टंकी है तथा राजकीय प्राथमिक सरकारी विद्यालय है। इस प्रकार मौके पर विवादित जमीन की किस्म गै0मु0 रड़ा नहीं बल्कि आबादी है। यह कि कानून से जहां किस्म जमीन व सदभाविक कब्जे का प्रश्न है वहां पर कानून से सदभाविक रूप से काबिज व्यक्ति को समरी प्रोसेडिंग के द्वारा बंदखल नहीं किया जा सकता। जो व्यक्ति सदभाविक रूप से काबिज है उसको सिर्फ रेगुलर कार्यवाही के द्वारा ही बाद साक्ष्य बेदखल किया जा सकता है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को गलत रूप से नजर अंदाज किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 को खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

IR

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट अनुसुचित जाति का व्यक्ति है अपीलान्ट ने टिन सैड व पशु बाडा कई वर्षो पुराने हैं। अपीलान्ट के पास रिहायश हेतु अन्य कोई जगह नही है। अपीलान्ट के चारो और गाव के अन्य लोग ने भी पुख्ता मकान बनाकर पीढी दर पीढी रिहायश करते आ रहे है। जहां विधुत विभाग ने तथा जलदाय विभाग ने बिजली व पानी के कनेक्शन जारी किये है। इस प्रकार अपीलान्ट गांव की आबादी भूमि में होने के कारण इस प्रकरण में धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्राक्धान लागु नही होते है। इसलिए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित निर्णय दिनांक 23.08.2016 काबिले निरस्त होने योग्य होने से खारिज किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अनतर्गत अपीलांट सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का एंव मिसल मातहत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 23.08.2016 को अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से साबित है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा वैध साबित हो। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट ने राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होती है।

42

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.08.2016 सरकार बनाम राजेन्द्र, मु.नं.45/16 को यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो व बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुझुनू

निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को मेरे द्वारा अलग से टकिंत करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम0आर0 बागड़िया)
अति0 जिला कलक्टर
झुझुनू